DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ2(784)/डीओआईटीएण्डसी/2025 जयपुर, दिनांक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों ने राजकाज ऑनलाईन के माध्यम से इस विभाग को निम्नानुसार अग्रिम अध्ययन हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये है–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापन	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	रविकांत शर्मा, सूचना सहायक,	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग, नगर जिला डीग	MCA I Year 2026-2027	VGU, JAIPUR
2	रोहित चौधरी, सूचना सहायक	उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अलवर–II जिला अलवर	MCA I Year 2026-27	VGU, JAIPUR
3	राहुल गुर्जर, सूचना सहायक	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, मुख्यालय, जयपुर	MCA I Year 2026-27	VGU, JAIPUR
4	रोहित कुमार, मीणा, सूचना सहायक	मुख्य अभियंता, (शहरी एवं एन. आर.डब्ल्यू), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	MA I Year (Economics) 2026-27	VMOU, KOTA
5	राजू राम, सूचना सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ओसियां जिला जोधपुर	MCA I Year 2026-27	VGU, JAIPUR
6	रितिका कुमारी, सूचना सहायक	जिला परिवहन कार्यालय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबू रोड, सिरोही	M.Sc Cs I Year 2026-27	VMOU, KOTA
7	राज कुमार मीणा पुत्र श्री उम्मेद सिंह मीणा, सूचना सहायक	मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	MCA II Year 2026-27	VGU, JAIPUR
8	रामकेश पुत्र श्री सुरेश चंद, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–धौलपुर, जिला धौलपुर	MCA I Year 2026-27	VGU, JAIPUR
9	राजवीर चौधरी, सूचना सहायक	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस, जयपुर	MCA II Year 2026-27	VGU, JAIPUR
10	राजेश मीणा पुत्र श्री कालू राम मीणा, सूचना सहायक	प्रधान मुख्य वन सरंक्षक,वन विभाग, जयपुर	MCA I Year 2026-27	SGVU, JAIPUR

उपर्युक्त कार्मिको द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु दूरस्थ माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु कार्मिको को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005, दूरभाष:–0141–21322, 2222011
वेबसाइट https://www.doitc.rajasthan.gov.in,
ई–मेल– oic.estt@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 25165906

Digitally signed by RAMESHWAR LAL SOLANKI
Designation: Head Of Office
Date: 2026-10-23 12:57:58 IST

v-1.0

6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शस्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग/कार्यालय ..... ।
3. संबंधित कार्मिक ..... ।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी